



ज्ञा त्वं पूषन् अणामृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय बंगाणा

जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश – 174307

KENDRIYA VIDYALAYA BANGANA

DISTT. UNA, HIMACHAL PRADESH-174307

Website: bangana.kvs.ac.in Email:

kvbanganahp@gmail.com

Phone 01975-263055, CBSE AFF No. 600023

CBSE SCHOOL CODE:44834



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

फ. 2 /के.वि.बी./2022-23

Date : 11/04/2022

प्रवेश सूचना कक्षा दो तथा नौवीं (सत्र 2022-23) हेतु


केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) प्रवेश सूचना 2022-23 के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये केन्द्रीय विद्यालय बंगाणा में कक्षा दो तथा कक्षा नौवीं में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर प्रवेश के लिये पंजीकरण (ऑफलाइन मोड) द्वारा दिनांक 16.04.2022 साँय 4:00 बजे तक किया जा सकेगा। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए प्रवेश आवेदन पत्र विद्यालय वैबसाइट bangana.kvs.ac.in से दिनांक 16.04.2022 तक download किये जा सकते हैं।

सभी कक्षाओं के लिए उम्र की गणना 31.03.2022 से होगी।

प्रवेश की पात्रता के बारे में जानकारी के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट (www.kvsangathan.nic.in) पर उपलब्ध प्रवेश मार्गदर्शिका 2022-23 का अवलोकन करें।

पूर्णतया भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय में (ऑफलाइन मोड) द्वारा दिनांक 16.04.2022 साँय 4:00 बजे तक जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए विद्यालय प्रवेश प्रभारी से Mobile no 9805547123 अथवा 98288-58313 पर संपर्क कर सकते हैं


(एस.डी. लखनपाल)
गार्डियन प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय बंगाणा
जिला ऊना (हि.प्र.) 174307

Copy for information:

1. The Deputy Commissioner Distt. Una & Chairman, VMC KV Bangana , Distt. Una H.P.
2. The SDM Bangana (Chairman's Nominee), Tehsil Bangana Distt. Una H.P.
3. Principal, Bangana Degree College, Bangana Distt Una H.P.
4. The Deputy Director (Higher Education),Distt. Una H.P.
5. The Principal GSSS Bangana, Hatli,Arloo,Dhundla,Lathiani.
6. The Post Master, Bangana.
7. The Manager,SBI,CBI,PNB,KCC Bank, Bangana.
8. The MO CHE, Bangana.
9. The Pardhan, Gram-Panchayats:Bangana,Muchhali, Dohgi, Piplu,Hatli,Malangan,Jassana.
10. Vidyalaya website.
11. The local correspondent of daily.
12. Vidyalaya Notice Board.

Copy of information
& wide publicity
under jurisdiction
please.